05/01/22

संख्या– /XVIII-B-1/2022-15(22)/2016

प्रेषक,

एस0ए0मुरूगेशन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. सचिव,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त,
जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक 04 जनवरी, 2022

विषयः– **राज्य में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन नीति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रभारी अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के पत्र संख्या–164/USDMA/909/2021, दिनांक 31.05.2021 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य भूगर्भीय संरचना तथा प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने के दृष्टिगत मानसून अवधि एवं प्राकृतिक आपदा के दौरान आपदा प्रबन्धन न्यूनीकरण, प्रतिवादन, संचार, खोज बचाव, सुरक्षित निर्माण एवं जन–जागरूकता आदि सूचनाओं/जानकारियों के स्थानीय भाषा में व्यापक प्रचार–प्रचार एवं प्रसारण दूर–दराज क्षेत्रों में किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–2502/XVIII–(2)/2017–15(22)/2016, दिनांक 28,दिसम्बर, 2017 एवं शासनादेश संख्या–1543/XVIII–(2)/2019–15(22)/2016, दिनांक 03, दिसम्बर, 2019 द्वारा के माध्यम से प्रख्यापित सामुदायिक रेडियो स्टेशनों हेतु प्रात्साहन नीति को अतिकमित करते हुए निम्नानुसार नवीन दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क– राज्य में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना हेतु संस्थान/संगठनों के लिये नीति संशोधन के सम्बन्ध में:–

1. भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप सामुदायिक रेडियों केन्दों संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों के संचालन हेतु लाईसेंस प्राप्त संस्थाओं तथा राज्य में उक्त स्थापना के इच्छुक संस्थान/सामुदायिक संस्थाए निम्न प्रकार प्रकिया निर्धारित की जाती है:–

1.1 सामुदायिक रेडियो केन्द्रों की स्थापना हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिये राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर इच्छुक संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे।

1.2 नये सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष में कभी भी आवेदन किया जा सकता है।

1.3 नये सामुदायिक रेडियो स्टेशन को प्रारम्भ करने की इच्छुक संस्थाओं को समस्त वांछित अभिलेखों के साथ सचिव, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यालय में आवेदन करना होगा।

1.4 प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जनपद में एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। नये सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना हेतु चयनित संस्थाओं को अनुदान एस.डी.आर.एफ. के क्षमता विकास मद से आवंटित किया जायेगा। यदि किसी एक जनपद से दो या दो से अधिक संस्थायें अलग–अलग क्षेत्रों के लिये आवेदन करती हैं तथा किसी अन्य जनपद से कोई आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।

Ms Jyoti

1.5 नये सामुदायिक रेडियो केन्द्रों की स्थापना के लिये दिये जाने वाले अनुदान की अधिकतम सीमा रू0 20.00 लाख (बीस लाख मात्र) अथवा सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना में आने वाली लागत (जो भी न्यूनतम हो) होगी।

1.6 प्रथम किश्त में स्वीकृत धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जायेगी तथा उक्त का उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त शेष 50 प्रतिशत धनराशि का आवंटन किया जायेगा।

1.7 राज्य सरकार द्वारा सहायता/अनुदान प्राप्त सामुदायिक रेडियो केन्द्रों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

1.8 नये सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को 03 वर्षों तक रू0 4.00 लाख (प्रति वर्ष) परिचालन अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिये संस्थाओं द्वारा विगत वर्ष की प्रगति आख्या के साथ आवेदन करना होगा। इस धनराशि को भी राज्य आपदा मोचन निधि(एस0डी0आर0एफ0) के क्षमता विकास मद से वहन किया जायेगा तथा धनराशि का भुगतान 02 किस्तों में किया जायेगा।

1.9 जनपद के ऐसे क्षेत्र/स्थान जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन की गतिविधियों से आच्छादित नहीं है एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील व सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो केन्द्र की स्थापना को प्राथमिकता दी जायेगी।

1.10 अनुदान प्राप्त सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से प्रसारित किये जाने वाले जागरूकता कार्यक्रमों में स्थानीय भाषाओं (गढ़वाली, कुमाऊँनी, जौनसारी एवं अन्य स्थानीय भाषा) को प्राथमिकता देनी होगी।

1.11 राज्य सरकार द्वारा सहायता/अनुदान प्राप्त सामुदायिक रेडियो केन्द्रों द्वारा प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों में किसी प्रकार का राजनैतिक, धार्मिक, जाति समुदाय अथवा व्यक्तिगत प्रचार–प्रसार पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। इसका उल्लघंन करने पर रेडियो केन्द्र को बन्द कर दिया जायेगा तथा राज्य सरकार द्वारा दी गयी सहायता से क्रय की गयी सामग्री को जब्त कर लिया जायेगा।

1.12 नये सामुदायिक रेडियो केन्द्रों की स्थापना हेतु चयनित संस्थायें, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं सम्बन्धित जिला अधिकारी को त्रैमासिक प्रगति आख्या अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

1.13 सहायता प्राप्त सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को मानसून अवधि एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी से सामंजस्य स्थापित करते हुए वांछित व आवश्यक जानकारियों के साथ–साथ मौसम सम्बन्धित पूर्वानुमान/चेतावनियों का अनिवार्यतः प्रसारण करना होगा।

1.14 सामुदायिक रेडियो केन्द्र स्थापित करने वाली चयनित संस्थाओं को सामुदायिक रेडियो केन्द्र के समस्त संसाधनों का (जैसे–सामुदायिक रेडियो केन्द्र भवन, प्रांगण एवं समस्त उपकरण) आपदा से होने वाली क्षति के दृष्टिगत "आपदा–जोखिम बीमा" (Risk Insurance) से आच्छादित किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

1.15 अनुदान प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित संस्थान/संस्था को स्थानीय स्तर पर न्यूनतम 02 वर्षों तक कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य होगा अथवा इस अवधि से स्थानीय स्तर पर कार्यरत संस्था के सहयोग से रेडियो स्टेशन स्थापित किया जाना होगा।

1.16 यदि चयनित संस्था सामुदायिक रेडियो केन्द्र की स्थापना पश्चात् 03 वर्ष तक रेडियो केन्द्र

का निरन्तरता में परिचालन नहीं कर पाती है तो आवंटित अनुदान की वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

1.17 राज्य सरकार से सहायता/अनुदान प्राप्त सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को उनके कुल प्रसारण समय का प्रतिदिन न्यूनतम 10 प्रतिशत समय आपदा प्रबन्धन विशयक प्रचार–प्रसार हेतु आरक्षित किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी आपदा की स्थिति में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा आरक्षित समय के अतिरिक्त आपातकालीन सूचनाओं के प्रसारण अवधि में विस्तार किया जाना अनिवार्य होगा।

1.18 राज्य द्वारा सहायता/अनुदान प्राप्त सामुदायिक रेडियों केन्द्र द्वारा वर्ष में 01 बार विगत वर्ष में प्रसारित आपदा सम्बन्धित कार्यक्रमों की कुल समयावधि के सापेक्ष आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी जानकारियों के प्रसारण की समयावधि का विवरण सम्बन्धित जनपद के जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

1.19 राज्य सरकार के किसी विभाग से प्राप्त अनुदान/सहायता के आधार पर विकसित किये गये जागरूकता संसाधनों पर सम्बन्धित सामुदायिक रेडियो केन्द्र का एकाधिकार नहीं होगा तथा अनुरोध किये जाने पर इन संसाधनों की प्रतियाँ अन्य सामुदायिक रेडियो केन्द्रों को प्रसारण हेतु उपलब्ध कराया जाना होगा।

1.20 राज्य में स्थापित समस्त सामुदायिक रेडियो केन्द्रों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक रेडियो के प्रसारण हेतु प्राख्यापित नीतिगत दिशा–निर्देशों तथा समय–समय पर उक्त हेतु जारी संशोधनों के अनुरूप प्रसारण व अपनी अन्य गतिविधियों का संचालन करना होगा।

1.21 नीति के किसी बिन्दु के अनुसार कार्यवाही में किसी प्रकार की कठिनाई की स्थिति उत्पन्न होने पर इसका स्पष्टीकरण शासन द्वारा निर्गत किया जा सकेगा।

1.22 सामुदायिक रेडियों केन्द्रों की स्थापना एवं परिचालन हेतु संस्थाओं को तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा चयनित अनुभवी तकनीकी संस्था अथवा विषय विशेषज्ञ के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

1.23 राज्य सरकार द्वारा दी जा रही इस सहायता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामुदायिक रेडियों केन्द्रों के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से विशेष रूप में राज्य का सुदूरवर्ती क्षेत्र पूरी तरह से आच्छादित हो। अतः संसाधनों के सीमित होने की स्थिति में ऐसे जनपदों में सामुदायिक केन्द्र स्थापित करने में इच्छुक संस्थानों/संगठनों को प्राथमिकता दी जायेगी, जो आपदा की दृष्टि से अधिक संवेदनशील हो और जहाँ पहले से सामुदायिक रेडियो केन्द्र संचालित न हो।

1.24 आपदा प्रबन्धन अधिनियम द्वारा निर्गत आपातकालीन सूचनाओं का वरीयता के आधार पर प्रसारण करने की अवहेलना का दोषी पाये जाने पर विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को उक्त सामुदायिक रेडियों केन्द्र का लाईसेन्स निरस्त करने की संस्तुति करने के लिये स्वतंत्र होगा।

1.25 सामुदायिक रेडियो केन्द्र व विभाग के मध्य मतभेद की स्थिति में विवादों के निस्तारण के लिये प्रावधान सामुदायिक रेडियों केन्द्र स्थापित करने वाली संस्थाओं एवं आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उत्तराखण्ड के साथ किये जाने वाले एम0ओ0यू0 में रखा जायेगा।

ख– राज्य में अवस्थित विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थानों में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना हेतु नीति के सम्बन्ध में:–

1. भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप सामुदायिक रेडियो केन्द्रों के संचालन हेतु लाईसेंस प्राप्त तथा राज्य में उक्त की स्थापना के इच्छुक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय व इनसे सम्बद्ध राजकीय एवं निजी महाविद्यालय, संस्थान, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज, पॉलीटेक्निक हेतु निम्नानुसार संख्या निर्धारित की जाती है:-

1.1 सामुदायिक रेडियो केन्द्रों की स्थापना हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिये राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर इच्छुक शैक्षणिक संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे।

1.2 नये सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष में कभी भी आवेदन किया जा सकता है।

1.3 नये सामुदायिक रेडियो स्टेशन को प्रारम्भ करने के इच्छुक शैक्षणिक संस्थानों को समस्त वांछित अभिलेखों के साथ सचिव, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यालय में आवेदन करना होगा।

1.4 प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 01 शैक्षणिक संस्थान प्रति जनपद को सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना हेतु चुना जायेगा साथ उक्त पर होने वाले व्यय का वित्तपोषण एस.डी.आर.एफ. के क्षमता विकास मद से किया जायेगा।

1.5 प्रथम किस्त में स्वीकृत धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जायेगी तथा उक्त का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त शेष 50 प्रतिशत धनराशि का आवंटन किया जायेगा।

1.6 सामुदायिक रेडियो केन्द्र की स्थापना हेतु चयनित संस्थान में उक्त केन्द्र की स्थापना, परिचालन एवं प्रसारित किये जाने वाले समस्त कार्यक्रमों की गुणवत्ता निर्धारित किये जाने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का अनिवार्यतः गठन करना होगा।

1.7 नये सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को 03 वर्षों तक रू0 4.00 लाख (प्रति वर्ष) परिचालन अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिये संस्थानों द्वारा विगत वर्ष की प्रगति आख्या के साथ आवेदन करना होगा। इस धनराशि का वहन राज्य आपदा मोचन निधि(एस0डी0आर0एफ0) के क्षमता विकास मद से किया जायेगा तथा धनराशि का भुगतान 02 किस्तों में किया जायेगा।

1.8 जनपद के ऐसे क्षेत्र/स्थान जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन की गतिविधियों से आच्छादित नहीं हैं एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील व सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित शैक्षणिक संस्थानों में सामुदायिक रेडियो केन्द्र की स्थापना को प्राथमिकता दी जायेगी।

1.9 सामुदायिक रेडियो केन्द्रों द्वारा प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों में किसी प्रकार का राजनैतिक, धार्मिक, जाति समुदाय अथवा व्यक्तिगत प्रचार–प्रसार पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा, इसका उल्लघंन होने पर रेडियों केन्द्र को बन्द कर दिया जायेगा तथा केन्द्र पर व्यय की गयी धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

1.10 नये सामुदायिक रेडियो केन्द्रों की स्थापना हेतु चयनित शैक्षणिक संस्थान, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं सम्बन्धित जिला अधिकारी को त्रैमासिक प्रगति आख्या अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

1.11 चयनित शैक्षणिक संस्थान द्वारा सामुदायिक रेडियो केन्द्र की स्थापना हेतु आवंटित धनराशि/अनुदान का दुरुपयोग किये जाने अथवा किसी अन्य कार्य पर व्यय किये जाने की स्थिति में उक्त संस्थान के प्रधान जिम्मेदार होंगे।

1.12 यदि चयनित शैक्षणिक संस्थान सरकारी है तथा उसके द्वारा सामुदायिक रेडियो केन्द्र की स्थापना हेतु आवंटित धनराशि/अनुदान का दुरुपयोग किये जाने अथवा किसी अन्य कार्य पर व्यय किये जाने की स्थिति में उक्त संस्थान के सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक/वसूली की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

1.13 यदि चयनित शैक्षणिक संस्थान गैर सरकारी है तथा उसके द्वारा सामुदायिक रेडियो केन्द्र की स्थापना हेतु आवंटित धनराशि/अनुदान का दुरुपयोग किये जाने अथवा किसी अन्य कार्य पर व्यय किये जाने की स्थिति में उक्त संस्थान के प्रबन्धकारिणी समिति के विरुद्ध प्रशासनिक/वसूली की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

1.14 सहायता प्राप्त सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को मानसून अवधि एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी से सामंजस्य स्थापित करते हुए वांछित व आवश्यक जानकारियों के साथ-साथ मौसम सम्बन्धित पूर्वानुमान/चेतावनियों का अनिवार्यतः प्रसारण करना होगा।

1.15 राज्य सरकार से सहायता/अनुदान प्राप्त सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को उनके कुल दैनिक प्रसारण समय का न्यूनतम 10 प्रतिशत समय आपदा प्रबन्धन विषयक प्रचार-प्रसार हेतु आरक्षित किया जाना होगा। किसी भी आपदा की स्थिति में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा आरक्षित समय के अतिरिक्त आपातकालीन सूचनाओं का प्रसारण अनिवार्यतः करना होगा।

1.16 उक्त सहायता/अनुदान प्राप्त सामुदायिक रेडियो केन्द्रों में युवाओं/छात्र-छात्राओं से सम्बन्धित शैक्षिक, कौशल विकास एवं रोजगार से सम्बन्धित कार्यक्रमों को वरीयता देना अनिवार्य होगा।

1.17 राज्य सरकार के किसी विभाग से प्राप्त अनुदान/सहायता के आधार पर विकसित किये गये जागरूकता संसाधनों पर सम्बन्धित सामुदायिक रेडियो केन्द्र का एकाधिकार नहीं होगा तथा अनुरोध किये जाने पर इन संसाधनों की प्रतियाँ अन्य सामुदायिक रेडियो केन्द्रों को प्रसारण हेतु उपलब्ध कराया जाना होगा।

1.18 राज्य में स्थापित समस्त सामुदायिक रेडियो केन्द्रों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक रेडियो के प्रसारण हेतु प्राख्यापित नीतिगत दिशा-निर्देशों तथा समय-समय पर उक्त हेतु जारी संशोधनों के अनुरूप प्रसारण व अपनी अन्य गतिविधियों का संचालन करना होगा।

1.19 नीति के किसी बिन्दु के अनुसार कार्यवाही में किसी प्रकार की कठिनाई की स्थिति उत्पन्न होने पर इसका स्पष्टीकरण शासन द्वारा निर्गत किया जा सकेगा।

1.20 सामुदायिक रेडियो केन्द्रों की स्थापना एवं परिचालन हेतु संस्थानों को तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा चयनित अनुभवी तकनीकी संस्था अथवा विषय विशेषज्ञ के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

1.21 राज्य सरकार द्वारा दी जा रही इस सहायता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामुदायिक रेडियों केन्द्रों के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से विशेष रूप में राज्य का सुदूरवर्ती क्षेत्र पूरी तरह से आच्छादित हो। अतः संसाधनों के सीमित होने की स्थिति में ऐसे जनपदों में सामुदायिक केन्द्र स्थापित करने में इच्छुक संस्थानों/संगठनों को प्राथमिकता दी जायेगी, जो क्षेत्र आपदा की दृष्टि से अधिक संवेदनशील हो और जहाँ पहले से सामुदायिक रेडियो केन्द्र संचालित नहीं हों।

1.22 आपदा प्रबन्धन अधिनियम द्वारा आपातकलीन सूचनाओं के वरीयता के आधार पर प्रसारण करने की अवहेलना का दोषी पाये जाने पर आपदा विभाग, उत्तराखण्ड भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को उक्त सामुदायिक रेडियों केन्द्र का लाईसेंस निरस्त करने की संस्तुति करने के लिये स्वतंत्र होगा।

1.23 सामुदायिक रेडियो केन्द्र व विभाग के मध्य मतभेद की स्थिति में विवादों के निस्तारण के लिये प्रावधान सामुदायिक रेडियो केन्द्र स्थापित करने वाली संस्थाओं एवं आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उत्तराखण्ड के साथ किये जाने वाले एम0ओ0यू0 में रखा जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या-400मतदेय/XXVII(5)/2021-22, दिनांक, 30, जनवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर निर्गत किया गया है।

भवदीय

(एस0ए0मुरूगेशन)
सचिव

USDMA-SPRC/5/2022-USDMA-Disaster Management Department

59444/2022/USDMA (10)

संख्या– 04 (1)/XVIII-B-1/2022-15(22)/2016, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल जी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरखण्ड।
10. अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. समस्त जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
संयुक्त सचिव